भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1195
दिनांक 09 फरवरी, 2018 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को सुविधाएं

1195. डॉ. उदित राजः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मासिक वेतन के रूप में क्रमशः 5000 रुपये एवं 2500 रुपये मिल रहे हैं जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम हैं तथा उन्हें कोई अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें भी वेतन चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु कोई योजना कार्यान्वित करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) वर्तमान में, आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को 01-04-2011 से क्रमश: रू.3000/- और रू.1500/- प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है। लघु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को 04-07-2013 से रू. 2250/- का मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने-अपने निजी स्रोतों से अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रहे हैं । वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी केंद्र, दिल्ली भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को रू.6678/- प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रू. 3339/- प्रतिमाह प्रदान कर रही है ।

इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को निम्नलिखित लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।

- अवकाश : उन्हें 180 दिनों के प्रसूति अवकाश की अनुमति प्रदान की गई है ।
- बीमा सुरक्षा : भारत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 01.04.2004 से भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' शुरू की है ।

- इसके अलावा, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (प्र.मं.जी.ज्यो.बी.यो.) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को शामिल किया गया है ; प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्र.मं.सु.बी.यो.) के तहत 18-59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दुर्घटना सुरक्षा हेतु शामिल किया गया है; तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना (एकेबीवाई) संशोधित के तहत 51 से 59 वर्ष की आयु समूह की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को, तब तक बीमा लाभ देने का निर्णय लिया है जब तक वे कार्यरत रहती हैं । ये लाभ 01-06-2017 से प्रभावी हैं। महिलाओं से संबद्ध गंभीर बीमारी की स्थिति में भी, इन लाभार्थियों को ये लाभ जारी रहेंगे।

- एकेबीवाई के छात्रवृत्ति घटक का लाभ उन लाभार्थियों को जारी रहेगा जो वर्तमान शैक्षिक वर्ष के लिए इन लाभों के पात्र हैं।

- पुरस्कार : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहित करने और उनके श्रेष्ठ स्वैच्छिक कार्य को सम्मानित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कार देने की योजना की गई है। पुरस्कारों की संख्या और और पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। अब प्रत्येक पुरस्कार में पुरस्कार राशि 50,000/- रूपये नकद एंव केंद्रीय स्तर पर एक प्रशस्ति-पत्र(100 पुरस्कार) तथा राज्य स्तर पर 10,000/- रूपये का नकद एवं एवं एक प्रशस्ति-पत्र(1275 पुरस्कार) शामिल हैं।

- प्रोन्नयन : पर्यवेक्षकों के 50 प्रतिशत खाली पदों पर भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 25 प्रतिशत खाली पदों पर भर्ती आंगनवाड़ी सहायिकाओं से, आरक्षित की गई है।
- वर्दी : सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वर्दी के दो सैट (@साड़ी/सूट@-400/-रुपये प्रति साड़ी प्रति वर्ष) देने का प्रावधान किया है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय पोषण मिशन में आईसीडीएस डाटा प्राप्त करने और भेजने के लिए डिजिटल उपकरण का प्रयोग करने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को रू. 500/- प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और आंगनवाड़ी सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्त्रियां हैं, वे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा साथ ही साथ कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य की 1998 की - सिविल अपील सं. 4953-4957 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं कोई सिविल पद-धारक नहीं हैं।

******